

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 2223-142-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 मार्च 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २०१०

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, २०१०

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ३-ख का संशोधन.
३. धारा ४ का संशोधन.
४. धारा १३ का संशोधन.
५. अनुसूची-१ का संशोधन.
६. अनुसूची-२ का संशोधन.
७. अनुसूची-३ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २०१०

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, २०१०

[दिनांक २९ मार्च, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १ अप्रैल, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

(२) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा ३-ख का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ सन् १९७६) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३-ख में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "विदेशी मदिरा पर" का लोप किया जाए;

(दो) शब्द, "बीयर" के स्थान पर, शब्द "बीयर और धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन अधिसूचित माल" स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (१) में,—

(एक) प्रथम परन्तुक के खण्ड (एक) में, शब्द और अंक "उक्त अनुसूची के अनुक्रमांक-१ में यथाविनिर्दिष्ट कोयला तथा अनुक्रमांक-३ में यथाविनिर्दिष्ट लोहा तथा इस्पात को छोड़कर" के स्थान पर, शब्द और अंक "उक्त अनुसूची के भाग-एक के, अनुक्रमांक-१ में यथाविनिर्दिष्ट कोयला तथा अनुक्रमांक-३ में यथाविनिर्दिष्ट लोहा तथा इस्पात को छोड़कर" स्थापित किए जाएं;

(दो) द्वितीय परन्तुक में, शब्द और अंक "उक्त अनुसूची के अनुक्रमांक-१ में यथाविनिर्दिष्ट कोयला तथा अनुक्रमांक-३ में यथाविनिर्दिष्ट लोहा तथा इस्पात को छोड़कर" के स्थान पर, शब्द और अंक "उक्त अनुसूची के भाग-एक के, अनुक्रमांक-१ में यथाविनिर्दिष्ट कोयला तथा अनुक्रमांक-३ में यथाविनिर्दिष्ट लोहा तथा इस्पात को छोड़कर" स्थापित किए जाएं.

धारा १३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १३ में, अंक "५५" के स्थान पर, अंक और अक्षर "५५, ५५-क" स्थापित किए जाएं.

अनुसूची-१ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में,—

(एक) अनुक्रमांक १ के सामने, कॉलम (२) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"वेत अधिनियम की अनुसूची-१ में, विनिर्दिष्ट माल (उसके अनुक्रमांक ४६, ४८ और ४९ में विनिर्दिष्ट माल तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा और बीयर को छोड़कर)";

(दो) अनुक्रमांक ९ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

- “१०. कपास (ओटी हुई या बिना ओटी हुई). जबकि प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में सूत (काटन यार्न) के विनिर्माण के लिए किया गया हो.
११. सूत (काटन यार्न) तथा मानव निर्मित यार्न.
१२. मोटर यानों के, जिसमें दो पहियों और तीन पहियों वाले मोटर यान सम्मिलित हैं, घटक और अतिरिक्त पुर्जे. जबकि प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में, आटोमोबाइल उद्योग में निवेश के रूप में उपयोग के लिए किया गया हो.
१३. सभी प्रकार के पदत्राण (फुटवियर)/चप्पलें और उनके स्ट्रैप्स (जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रुपये २५० प्रति जोड़ी से अधिक न हो).
१४. आप्टिकल वस्तुएं अर्थात्,— चश्में, धूप के चश्में, गागल्स, लैन्स तथा फ्रेम जिनमें उनकी संलग्न वस्तुएं, पुर्जे और उपसाधन सम्मिलित हैं (जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रुपये २५० प्रति इकाई से अधिक न हो).”

६. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अनुसूची-२ का संशोधन.

“अनुसूची-२
(धारा ४, ९ तथा १२ देखिए)

अनुक्रमांक (१)	माल का वर्णन (२)	कर की दर (प्रतिशत) (३)
-------------------	---------------------	------------------------------

भाग-एक

- | | | |
|----|--|---|
| १. | लोहा तथा इस्पात जैसा कि वह केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) की धारा १४ के खण्ड (चार) में विनिर्दिष्ट है. | २ |
| २. | एविेशन फ्यूल एवं एविेशन टर्बाइन फ्यूल. | २ |
| ३. | कोयला, जिसमें सभी प्रकार के कोक सम्मिलित हैं, किन्तु चारकोल को छोड़कर. | २ |
| ४. | बिटुमिनस मिनरल से प्राप्त कच्चा पेट्रोलियम तेल एवं कच्चा तेल. | २ |
| ५. | सिम कार्ड. | २ |
| ६. | हवाई जहाज एवं अन्य एयरक्राफ्ट्स, जिनमें सम्मिलित हैं हेलीकॉप्टर एवं सभी प्रकार के पैराशूट, वायुपोत सभी प्रकार के ग्लाइडर, सभी प्रकार की प्लानिंग मशीन, एयरक्राफ्ट लांचिंग गियर, उनके पुर्जे और उपसाधन. | २ |

(१)	(२)	(३)
७.	(१) वातानुकूलन संयंत्र (एयर कंडीशनिंग प्लांट्स), वातानुकूलक (एअर कंडिशनर) तथा अन्य वातानुकूल (एयर कंडीशनिंग) साधित्र, वातशीतक (एअर कूलर्स), रूमकूलर्स, जिसमें सम्मिलित हैं समस्त शीतलन साधित्र, उपकरण तथा साधन; (२) प्रशीतन संयंत्र (रेफ्रिजरेशन प्लांट्स) तथा सभी प्रकार के प्रशीतन साधित्र (रेफ्रिजरेटिंग अप्लाइन्सेस) तथा उपकरण जिनमें सम्मिलित हैं प्रशीतक (रेफ्रीजरेटर्स), अतिहिमीकरण यंत्र (डीप फ्रीजर्स), यांत्रिक जल शीतक (मेकेनिकल वाटर कूलर्स), काफी कूलर्स, वाक-इन कूलर्स; (३) जलशीतक-सह-तापक इकाई (वाटर कूलर कम हीटर यूनिट); (४) उपरोक्त (१) से (३) तक की वस्तुओं के पुर्जे तथा उपसाधन.	२
८.	एअर प्यूरीफायर्स, कपबोर्ड फ्रेशनर्स तथा डिओडोराइजर्स, चाहे वे सुगंध रहित हो या सुगंधित हो.	२
९.	चलचित्रण उपस्कर (सिनेमोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स) जिसमें सम्मिलित हैं वीडियो कैमरा, प्रक्षेपक (प्रोजेक्टर) ओवर हेड प्रोजेक्टर, चित्रवर्धक (एनलाजर), प्लेट्स तथा उसके साथ उपयोग में लाए जाने वाला कपड़ा ध्वनि अंकन (साउंड रिकार्डिंग) तथा पुनरोत्पादक उपस्कर (री-प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट्स) उनके पुर्जे और उपसाधन और लेंस, एक्सपोज्ड फिल्में, फिल्म स्ट्रिप्स.	२
१०.	कन्फेक्शनरी जिसमें सम्मिलित हैं चॉकलेट तथा सभी प्रकार के स्वीट्स, (मिठाईयां) आईस जैली, कुल्फी तथा फ्रोजन कन्फेक्शनरी, फ्रोजन, डेजर्ट, च्युइंगम, बबलगम तथा उनके सदृश अन्य, किन्तु टाफी को छोड़कर.	२
११.	कांति द्रव्य (कास्टमेटिक्स) तथा प्रसाधन सामग्री जिसमें सम्मिलित है (१) टेलकम पाउडर, (२) प्रिकली हीट पाउडर, तथा इसी प्रकार के अन्य मेडिकेटेड बॉडी पाउडर, (३) सभी किस्म एवं सभी प्रकार के क्षाल (शैम्पू), (४) बालों एवं शरीर की सफाई के सभी प्रकार के पाउडर, (५) चन्दन का तेल (सेन्डलवुड आईल), (६) रामाचोम आईल, (७) दालचीनी का तेल, (८) परप्यूम्स, (९) सेंट्स गंध, (१०) स्नो एवं क्रीम, (११) यूडी कोलोन, सोलिड कोलोन्स, (१२) ब्युटी बॉक्सेस, (१३) फेस पैक्स, (१४) क्लीनिंग लिक्विड्स, (१५) मॉश्चराइजर्स, (१६) मेकअप की वस्तुएं (जिनमें टेलकम पाउडर सम्मिलित नहीं है). (१७) काम्प्लेक्शन रूज, (१८) ब्लीचिंग एजेंट्स, (१९) हेयर डाईज, (२०) हेयर स्प्रेयर्स, (२१) हेयर रिमूवर्स, (२२) हेयर क्रीम्स, (२३) लिपिस्टिक्स, (२४) नेल पॉलिश एवं वार्निश, (२५) पॉलिस रिमूवर्स, (२६) आई लाइनर्स, (२७) आई लेंसेस, (२८) बॉडी डिओडोरेन्ट्स.	२
१२.	डुप्लीकेटिंग मशीनें, फोटोकापी मशीनें, रेप्रोग्रेफिक कॉपियर जिनमें सम्मिलित हैं रोनियो मशीन, डुप्लीकेटर्स एवं डुप्लीकेट प्रतियां प्राप्त करने वाले अन्य उपकरण, उनके पुर्जे और उपसाधन, उनके साथ उपयोग में आने वाले रिबन, प्लेट्स.	२
१३.	घरेलू एवं वाणिज्यिक उपयोग के विद्युत् साधित्र जिनमें सम्मिलित हैं (१) फुड प्रोसेसर्स जैसे मिक्सर, ग्राइन्डर, (२) ओवेन, (३) फ्राईंग पेन, (४) रोटी मेकर, (५) राईस कुकर, (६) डीप फ्रैट फ्रायर, (७) कर्ड मेकर, (८) हॉट फूड केबिनेट, (९) वाटर हीटर, जिसमें इमरसन हीटर सम्मिलित है, (१०) इलेक्ट्रिक केटली, (११) इलेक्ट्रिक नाईफ, (१२) कुकिंग रेंजेज, (१३) वॉशिंग मशीन, (१४) डिश वाशर, (१५) इलेक्ट्रिक आयरन, (१६) इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, (१७) इलेक्ट्रिक हेयर रिमूवर, शेवर,	२

(१)	(२)	(३)
	(१८) इलेक्ट्रिक टाईम स्विचेज, (१९) मैकेनिकल टाईमर, (२०) वैक्यूम क्लीनर, (२१) वाटर प्युरिफायर, (२२) ड्रायर, (२३) कॉफी रोस्टिंग एप्लायन्सेस, (२४) दबाव के साथ कॉफी निर्मित करने के उपकरण जो सामान्यतः एस्प्रेसो के नाम से जाने जाते हैं, (२५) फ्लोर पॉलिशर, (२६) मसाज उपकरण, (२७) शार्पनर, (२८) वैंडिंग मशीन.	
१४.	विद्युत माल जिसमें सम्मिलित हैं रंगीन टेलीविजन सेट, खिलौने (इलेक्ट्रॉनिक) और मनोरंजन के गजेट्स (वेट अधिनियम की अनुसूची-२ के भाग-२ के अनुक्रमांक ५१ में यथाविनिर्दिष्ट सूचना तकनीकी से संबंधित माल और ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सेट को छोड़कर).	२
१५.	सभी प्रकार के फ्लोर एवं वाल टाइल्स, (१) सिरेमिक टाइल्स, ग्लेज्ड फ्लोर, रूफिंग एवं वाल टाइल्स (२) (क) ग्रेनाइट ब्लॉक्स (रफ अथवा रॉ), (ख) पॉलिशड ग्रेनाइट स्लैब्स, (३) ब्लैक स्टोन, (४) मार्बल, अर्थात्—(क) मार्बल बोल्डर्स या डेले (लम्प्स), (ख) मार्बल स्लैब्स, (ग) मार्बल चिप्स, (घ) मार्बल डस्ट, (ङ) मार्बल फ्लोर टाइल्स एवं वाल टाइल्स, (च) मार्बल से बनी अन्य वस्तुएं, (५) मोजैक टाइल्स, चिप्स एवं पाउडर.	२
१६.	फ्लोर कव्हरिंग, अर्थात्—(१) कार्पेट, ड्रगेट, कालीन, गलीचे, कार्पेटरी तथा रग चाहे वे गुच्छेदार हों, पाइल किए हुए या अन्यथा हों, चाहे वे कॉटन, सिल्क, सिन्थेटिक या अन्य फाइबर से निर्मित हों, चाहे मशीन से बने हों, हाथ से बने हों या हैण्डलूम पर बने हों किन्तु इसमें जूट कार्पेट, क्वायर कार्पेट या मेटिंग, या हस्त निर्मित या हैण्डलूम निर्मित बुनी हुई दरियां तथा जमाबकलम सम्मिलित नहीं हैं, (२) लेमिनेटेड, इम्प्रिग्नेटेड या कोटेड मेटिंग सामग्री जैसे—लिनोलियम जिसमें पीवीसी (विनायल) सामग्री सम्मिलित है.	२
१७.	परोसे जाने के लिए तैयार फूड एवं फूड प्रिपेरेशन जिसमें इन्स्टेंट फूड सम्मिलित है (मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ की अनुसूची-१ और अनुसूची-२ के भाग-२ में सम्मिलित मालों को छोड़कर).	२
१८.	फर, फर सहित स्किन, एवं फर तथा स्किन से बनी वस्तुएं.	२
१९.	किसी भी सामग्री से बने फर्नीचर चाहे वह जुड़े हुए रूप में हों या जोड़े जाना हों या जोड़े जाने के लिए तैयार स्थिति में विक्रय किये जाते हों, और उनके पुर्जे. स्पष्टीकरण.—लॉटेड ऐंगल्स, गजेट्स, प्लेट्स, पैनल्स और स्ट्रिप्स, जिन्हें जोड़ने पर फर्नीचर या उपकरण बनते हों, इस मद के प्रयोजन के लिए यथास्थिति, फर्नीचर या ऑफिस उपकरण समझे जाएंगे.	२
२०.	इस अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट को छोड़कर ग्लास, (कांच), ग्लास शीट्स एवं कांच के माल (ग्लास वेयर).	२
२१.	किचन वेयर जिसमें चीनी के बर्तन (क्रॉकरी), कटलरी, (छुरी कांटे), नॉनस्टिक वेयर, हीट रेजिस्टेन्ट कुकवेयर, केसरॉल, गैस स्टोव सम्मिलित हैं, (मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ की अनुसूची-२ के भाग-२ के अनुक्रमांक-६ में सम्मिलित मालों को छोड़कर).	२
२२.	चमड़े के माल.	२
२३.	स्नेहक (लुब्रीकेंट्स).	२

(१)	(२)	(३)
२४.	अमद्यसारिक पानीय (नान अल्कोहोलिक बेवरेज) और उनके पाउडर्स, कन्सनट्रेट्स एवं टेबलेट्स जिसमें सम्मिलित हैं (१) फलों का रस (फ्रूट ज्यूस), फ्रूट कन्सनट्रेट, फ्रूट स्कवैश, फ्रूट साइरप (शर्बत) एवं फ्रूट कोरडाईल (उत्तेजक पेय), (२) साफ्ट ड्रिंक, (३) सभी प्रकार के हेल्थ ड्रिंक्स, (४) डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट या ऐसे खाद्य पेय का चूर्ण जिसमें बड़े अंश के रूप में डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट है.	२
२५.	ऑफिस मशीन, उपस्कर तथा उपकरण (इक्विपमेंट एवं ऐपरेटस) जिनमें फ्रैंकिंग, एड्रेस प्रिंटिंग, टेबुलेटिंग (सारणी यंत्र), कैश रजिस्ट्रिंग, चैक राइटिंग, अकाउन्टिंग, स्टेटिस्टिकल, इण्डेक्सिंग, पंचिंग मशीन, कार्ड पंचिंग तथा पेपर शेडिंग मशीनें एवं उपकरण सम्मिलित हैं.	२
२६.	पेंट्स, प्रलाक्षा (लेकर्स), पॉलिशेस एवं एनेमल्स जो इस अनुसूची में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं, जिसमें सम्मिलित हैं (१) पाउडर पेंट्स, स्टिफ पेस्ट पेंट्स एवं लिक्विड पेंट्स, (२) रंग (कलर्स), (३) पिगमेंट्स जिसमें वाटर पिगमेंट्स एवं लेदर फिनिशेस सम्मिलित हैं, (४) ड्राय डिस्टेम्पर जिसमें सीमेंट बेस्ड वाटर पेंट्स, आईल बॉउण्ड डिस्टेम्पर, प्लास्टिक इमल्शन पेंट सम्मिलित हैं, (५) वार्निशेस, फ्रेंच पालिश, बिटुमिनस एवं कोलतार ब्लैक, (६) सेलुलोज प्रलाक्षा (लेकर्स), नाइट्रो सेलुलोज प्रलाक्षा (लेकर्स), क्लीयर एंड पिगमेंट्स तथा नाइट्रो सेलुलोज एन्सीलरीज, तरल (लिक्विड), सेमीसॉलिड या पेस्टी रूप में, (७) तारपीन का तेल (टर्पेन्टाईन आईल), बेल आईल, व्हाइट आईल, (८) डॉयलुएन्ट्स एवं थिनर्स जिसमें नेचुरल एवं सिंथेटिक ड्राईंग एवं सेमीड्राईंग आईल्स जैसे डबल ब्यायल्ड लिनसीड आईल, ब्लोन लिनसीड आईल, स्टैंड आईल, सल्क्युराईज्ड लिनसीड आईल, पारिला आईल, व्हेल आईल, टंग आईल सम्मिलित हैं, (९) फेकेड, इन्डोर वाल, फॉल्स सीलिंग या इन्हीं के सदृश अन्य के लिए ग्लेजियर्स पुट्टी, ग्राफिटिंग पुट्टी, रेजीन सीमेंट, कॉकिंग कम्पाउंड एवं अन्य मास्टिक्स, पेंटर्स फिलिंग्स, नान रिफ्रेक्टरी सरफेसिंग प्रिपरेशन, (१०) सभी प्रकार के प्राइमर्स, (११) पेंटिंग्स और वार्निशिंग के उपयोग में आने वाली सभी प्रकार की अन्य सामग्री जैसे पेंट ब्रश, पेंट रिमूवर्स एवं सभी प्रकार के स्टेनर्स एवं इनके सदृश अन्य सामग्री.	२
२७.	टिम्बर.	२
२८.	रेडियो, टी. व्ही. टेलीविजन कैमरे के लिए ट्रांसमिशन उपकरण, स्टिल इमेज वीडियो कैमरा एवं अन्य वीडियो कैमरा रिकार्डर्स, डिजिटल कैमरा, बेतार (वायरलेस), माइक्रोफोन, राडार उपकरण, रेडियो टेलिफोनी, रेडियो टेलीग्राफी या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिसेप्शन उपकरण, ध्वनि विस्तारक और ध्वनिवर्धक यंत्र (एम्पलीफायर और लाउडस्पीकर) जिनका केवल ऐसे यंत्रों एवं उपकरणों में ही उपयोग होता है.	२
२९.	टायर एवं ट्यूब्स, बाईसिकल्स, ट्रायसिकल, सायकल रिक्शा एवं व्हील चेअर्स में उपयोग होने वालों को छोड़कर; एवं फ्लेप्स.	२
३०.	सभी प्रकार के वेक्यूम प्लास्क एवं किसमें जिनमें ऐसे प्लास्कों के रिफिल्स सम्मिलित हैं, और उष्मारोधी प्लास्क, कन्टेनर तथा बरतन जिनमें खाद्य या पेय पदार्थों या अन्य वस्तुओं को गर्म अथवा ठण्डा रखने के लिए थर्मस, थर्मिक जग, आईस बकेट या बॉक्स, टिन एवं पात्र सम्मिलित हैं और उनके संघटक तथा उपसाधन.	२

(१)	(२)	(३)
३१.	मानव उपयोग में आने वाले वानस्पतिक, खनिज एवं अन्य उत्पादित पदार्थ, टॉनिक, फूड सप्लीमेन्ट, एपीटाइजर, डायटिकल फूड तथा द्रव्य, गोली, चूर्ण रूप में उत्पादित अन्य सभी पदार्थ चाहे वे औषधीय. मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हों अथवा अन्यथा (इस अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट तथा फल, सब्जी तथा मसालों से बना, अचार, पेस्ट एवं पावडर को छोड़कर).	२
३२.	टेलीकम्युनिकेशन टॉवर्स, संचार के समस्त उपस्कर जैसे प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज (पी.बी.एक्स.) तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रायवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज (ई.पी.ए.बी.एक्स.) और उनके पुर्जे.	२
३३.	भारत में निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर.	२

भाग-दो

१.	(क) तम्बाकूयुक्त पान मसाला और तम्बाकूयुक्त गुटका.	२५
	(ख) उपरोक्त (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न पान मसाला और गुटका.	१२.५
२.	(क) सिगार, चुरुट, सिगरेट और तम्बाकू एवं बीड़ी की सिगारिल्लो.	१०
	(ख) अनिर्मित तम्बाकू तथा तम्बाकू का कचरा, अन्य निर्मित तम्बाकू उत्पाद जिसमें गुड़ाकू सम्मिलित है.	२.५
३.	घरेलू उपयोग में आने वाली तरलीकृत पेट्रोलियम गैस.	६.४७
४.	प्लास्टिक से बनी पानी भण्डारण की टंकियां.	५

भाग-तीन

१.	अनुसूची-१ तथा इस अनुसूची के भाग-एक, दो तथा अनुसूची-३ में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न सभी माल.	१''
----	--	-----

७. मूल अधिनियम की अनुसूची-३ में, अनुक्रमांक ३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची-३ का संशोधन.

३.	पिसान, आटा, मैदा, सूजी, बेसन, रवा, दलिया और चुनी.	१''
----	---	-----

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 2224-142-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 OF 2010

THE MADHYA PRADESH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 3-B.
3. Amendment of Section 4.
4. Amendment of Section 13.
5. Amendment of Schedule-I
6. Amendment of Schedule-II
7. Amendment of Schedule-III

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 29th March, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 1st April, 2010.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhinyam, 2010.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment of Section 3-B.

2. In Section 3 B of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the principal Act),—

- (i) in the marginal heading, the words "on foreign liquor" shall be omitted;
- (ii) for the words "Beer", the words "Beer and goods notified under sub-section (2) of Section 3", shall be substituted.

Amendment of Section 4.

3. In Section 4 of the principal Act, in sub-section (1),—

- (i) in clause (i) of first proviso, for the words and figures "other than coal as specified in serial number 1 and iron and steel as specified in serial number 3 of the said Schedule", the words and figures "other than coal as specified in serial number 1 and iron and steel as specified in serial number 3 of part 1 of the said Schedule" shall be substituted;
- (ii) in second proviso, for the words and figures "other than coal as specified in serial number 1 and iron and steel as specified in serial number 3 of the said Schedule", the words and figures "other than coal as specified in serial number 1 and iron and steel as specified in serial number 3 of part 1 of the said Schedule" shall be substituted.

Amendment of Section 13.

4. In Section 13 of the principal Act, for the figure "55", the figures and letter "55, 55-A" shall be substituted.

Amendment of Schedule-I.

5. In Schedule-I of the principal Act,—

- (i) against serial number 1, in column (2), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—"Goods specified in Schedule I of the Vat

Act (except the goods specified in serial numbers 46, 48 and 49 thereof, Indian made foreign liquor and beer)";

(ii) after serial number 9, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

- | | | |
|-----|---|---|
| "10 | Cotton (ginned or unginned). | When the entry is effected into a local area for use in the manufacture of cotton yarn. |
| 11. | Cotton yarn and man made yarn | |
| 12. | Components and spare parts of motor vehicles including two wheelers and three wheelers. | When the entry is effected into a local area for use as input in automobile industry. |
| 13. | All kinds of footwear/chappals and straps thereof (Maximum retail price of which does not exceed rupees 250 per pair). | |
| 14. | Optical goods, that is to say- spectacles, sun glasses, goggles, lenses and frames including attachments, parts and accessories thereof (Maximum retail price of which does not exceed rupees 250 per unit)". | |

6. For Schedule-II of the Principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely :—

Amendment of Schedule-II.

"SCHEDULE-II
(See Sections 4, 9 and 12)

S. No. (1)	Description of goods (2)	Rate of Tax (%) (3)
PART-I		
1	Iron and steel as specified in clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	2
2	Aviation fuel and aviation turbine fuel.	2
3	Coal, including coke in all its forms but excluding charcoal	2
4	Crude petroleum oils and crude oils obtained from bituminous minerals.	2
5	Sim Card	2
6	Aero planes and other aircrafts including helicopters and all kinds of parachutes, dirigibles, all kinds of gliders, all types of flying machines, aircrafts launching gear, parts and accessories thereof.	2
7	(1) Air conditioning plants, air conditioners and other air conditioning appliances, air coolers, room coolers including all cooling appliances, apparatus and instruments; (2) Refrigeration plants and all kinds of Refrigerating appliances and equipments including refrigerators, deep freezers, mechanical water coolers, coffee coolers, walk-in-coolers; (3) Water cooler cum heater units; (4) Parts and accessories of items (1) to (3) above.	2
8	Air purifiers, cupboard, fresheners and deodorizers, whether odourless or with odour.	2

(1)	(2)	(3)
9	Cinematographic equipments, including video cameras, projectors, over-head projectors, enlargers, plates and cloth required for use therewith, sound-recording and reproducing equipments, parts and accessories thereof and lenses, exposed films, film-strips.	2
10	Confectionery including, chocolate and sweets of all kinds, ice-jelly, kulfi and frozen confectionery, frozen dessert, chewing gum, bubble gum and the like but excluding toffee.	2
11	Cosmetics and toilet articles including (1) Talcum powder, (2) prickly heat powder and similar medicated body powder, (3) shampoo of all varieties and forms, (4) hair and body cleaning powder of all kinds, (5) sandal wood oil, (6) ramachom oil, (7) cinnamon oil, (8) perfumes, (9) scents, (10) snow and cream, (11) eau de cologne, solid colognes, (12) beauty boxes, (13) face packs, (14) cleansing liquids, (15) moisturizers, (16) Make-up articles (not including talcum powder), (17) complexion rouge, (18) bleaching agents, (19) hair dyes, (20) hair sprayers, (21) hair removers, (22) hair creams, (23) lipsticks, (24) nail polishes and varnishes, (25) polish removers, (26) eye liners, (27) eye lashes, (28) body deodorants.	2
12	Duplicating machines, photo copying machines, reprographic copiers including roneo machines, duplicators and any other apparatus for obtaining duplicate copies, parts and accessories thereof, ribbons, plates used therewith.	2
13	Electrical domestic and commercial appliances including (1) food processors like mixer, grinder, (2) ovens, (3) frying pans, (4) roti-maker, (5) rice cooker, (6) deep fat frier, (7) curd maker, (8) hot food cabinet, (9) water heater including immersion heater, (10) electric kettle, (11) electric knife, (12) cooking ranges, (13) washing machine, (14) dish washer, (15) electric iron, (16) electric hair drier, (17) electric hair remover, shavers, (18) electric time switches, (19) mechanical timers, (20) vacuum cleaner, (21) water purifier, (22) drier, (23) coffee roasting appliances, (24) apparatus for making coffee under pressure, commonly known as espresso, (25) floor polishers, (26) massage apparatus, (27) sharpeners, (28) vending machines.	2
14	Electronic goods including colour television set, Toys (electronic) and gadgets of entertainment (other than Information Technology goods as specified in serial number 51 of part II of Schedule II of the Vat Act and black and white television set).	2
15	Floor and wall tiles of all varieties (1) Ceramic tiles, glazed floor, roofing and wall tiles, (2) (a) Granite blocks (rough or raw), (b) Polished granite slabs, (3) Black stone, (4) Marbles that is to say,—(a) Marble boulders or lumps, (b) Marble slabs, (c) Marble chips, (d) Marble dusts, (e) Marble floor tiles and wall tiles, (f) Other articles made of marbles, (5) Mosaic tiles, chips and powder.	2
16	Floor coverings, that is to say, (1) carpets, druggets, kalins, galichas, carpetry and rugs whether tufted, piled or	2

(1)	(2)	(3)
	otherwise whether made from cotton, silk, synthetic or other fibres, whether machine made, handmade or made on handlooms but excluding jute carpets, coir carpets or matings, handmade or handloom made woven durries and jamakkalams, (2) Laminated, impregnated or coated matting materials such as linoleum including PVC (vinyl) materials.	
17	Ready to serve foods and food preparations including instant foods (other than those included in Schedule-I and part-2 of Schedule-II of the M. P. Vat Act, 2002).	2
18	Fur, skins with fur and articles made of fur and skin.	2
19	Furniture made from any material whether sold in assembled or unassembled form and ready to assemble and parts thereof. Explanation :—Slotted angles, gussets, plates, panels and strips which when assembled form furniture or equipments, shall be deemed to be furniture or office equipments as the case may be, for the purpose of this item.	2
20	Glass, glass sheet and glassware other than those specified elsewhere in this schedule.	2
21	Kitchen ware including crockery, cutlery, non-stick wares, heat resistant cookware, casseroles, gas stoves (other than those included in serial number 6 of part-2 of Schedule-II of the M. P. Vat Act 2002).	2
22	Leather goods	2
23	Lubricants	2
24	Non-alcoholic beverages and their powders, concentrates and tablets including (1) fruit juice, fruit concentrate, fruit squash, fruit syrup and fruit cordial, (2) soft drinks, (3) health drinks of all varieties, (4) Dextrose monohydrate or powder for food drink having dextrose monohydrate as major ingredient.	2
25	Office machines, equipments and apparatuses including franking, address printing, tabulating, cash registering, cheque writing, accounting, statistical, indexing, punching machines, card punching and paper shredding machines and apparatuses.	2
26	Paints, lacquers, polishes and enamels not otherwise specified in this Schedule, including (1) powder paints, stiff paste paints and liquid paints, (2) Colours, (3) Pigments, including water pigments and leather finishes, (4) Dry distempers including cement based water-paints, oil-bound distempers, plastic emulsion paints, (5) Varnishes, french polish, bituminous and coal-tar blacks, (6) Cellulose lacquers, nitro-cellulose lacquers, clear and pigments and nitro-cellulose ancillaries in liquid, semi-solid or pasty forms, (7) Turpentine oil, bale-oil, white oil, (8) Diluents and thinners including natural and synthetic drying and semi-drying oils such as double boiled linseed oil, blown linseed oil, stand oil, sulphurised linseed oil, parilla oil, whale oil and tung oil, (9) Glaziers putty, grafting putty, resin cements, caulking comounds and other mastics, painters fillings, non-refractory surfacing preparations for	2

(1)	(2)	(3)
	facades, indoor walls, false ceiling or the like, (10) Primers of all kinds, (11) All other materials used in painting and varnishing such as paint brushes, paint removers and stainers of all kinds and the like.	
27	Timber	2
28	Transmission apparatus for radio, TV, Television cameras, Still image video cameras and other video camera recorders, digital cameras, Wireless microphones, radar apparatus, reception apparatus for radio telephony, radio telegraphy or radio broadcasting, Amplifiers and loud speakers which are used exclusively in such instruments and apparatus.	2
29	Tyres and tubes other than those for bicycles, tri-cycles, cycle rickshaws and wheel-chairs, flaps.	2
30	Vacuum flasks of all kinds and descriptions including refills for such flasks and thermally insulated flasks, containers and vessels including thermoses, thermic jugs, ice buckets or boxes, tins and receptacles to keep food or beverages or other articles, hot or cold and components and accessories thereof.	2
31	Vegetable mineral and other preparations, tonics, food supplements, appetizers, dietical foods and all other preparations or human consumption in liquid, pill, powder forms, whether prepared according to pharmacopial standards or otherwise (other than those specified elsewhere in this Schedule and pickles, paste and powder made from fruits, vegetables and spices).	2
32	Telecommunication towers, all equipments for communications such as Private Branch Exchange (P. B. X.) and Electronic Privat Automatic Branch Exchange (E. P. A. B.X) and parts thereof.	2
33	Indian made foreign liquor and beer.	2
PART-II		
1	(a) Pan masala containing tobacco and gutka containing tobacco.	25
	(b) Pan masala and gutka other than those specified in (a) above.	12.5
2	(a) Cigars, cheroots, cigarettes, cigarillos of tobacco and bidies	10
	(b) Un-manufactured tobacco and tobacco refuse, other manufactured tobacco products, including gudaku.	2.5
3	Liquefied petroleum gas for domestic use	6.47
4	Water storages tank made of plastic	5
PART-III		
1	All goods other than those specified in Schedule-I, part-I, II of this Schedule and Schedule-III	1"

Amendment of Schedule III.

7. In Schedule III of the Principal Act, for serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

“3. Flour, atta, maida, suji, besan, rawa, daliya and Chuni 1”.